Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 38-42

एनईपी-2020 में भारतीय भाषा विषयक प्रावधान

डॉ. धनंजय झा

पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र)
शिक्षा विभाग, एल.एम.एम.यू., दरभंगा (बिहार)

शोध सारांश

एनईपी-2020 में, भाषा के संदर्भ में भी एक नई शुरूआत हुई है। यद्यपि पहले के शिक्षा आयोगों द्वारा भी भारतीय भाषाओं पर बल देने की सिफारिश की गई थी, परंतु तत्कालीन सरकारों ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एनईपी-2020 इस पर नए तरीके से विचार करती है। इसमें "भारतीय भाषाओं में शिक्षा" और "भारतीय भाषाओं की शिक्षा" इन दोनों ही पर जोर दिया गया है। भारतीय भाषाएँ जो अब तक स्कूलों में लागू हुआ करती थीं, अब उच्च शिक्षा में भी लागू होंगी। इसी तरह स्कूली स्तर पर कम से कम पाँचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट तौर पर मानना है कि अपनी भाषा या मातृभाषा में संप्रेषण और संज्ञान सरल, सहज और बोधगम्य होता है। भारत एक बहुभाषा-भाषी राष्ट्र है। पूरे देश में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं, जिनमें से 22 भाषाएँ तो भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में ही उल्लिखित है। इन भाषाओं में परस्पर गहरा संबंध है, किंतु भौगोलिक अवस्थिति और दूरी के कारण प्रत्येक की अपनी कुछ स्वभावगत विशिष्टताएँ भी विकसित हो गई हैं। इसलिए इतने विशाल भू-भाग में फैले हुए राष्ट्र के किसी भी नागरिक को इन सारी भाषाओं में से अभीष्ट भाषा का सम्यक ज्ञान पाने के लिए भाषा अधिगम की व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। 'एनईपी-2020 में भारतीय भाषाओं की भूमिका' विषयक इस शोध-पत्र में भारतीय भाषाओं को केन्द्र में रखकर 'एनईपी-2020' को समझने का प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर—*एनईपी-2020, भारतीय भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, सम्प्रेषण, बहुभाषा-भाषी राष्ट्र*

प्रस्तावना

एनईपी-2020 में शिक्षा के वृहत्तर लक्ष्यों का निर्धारण करते हुए स्पष्ट उल्लेख किया गया है—"इक्कीसवीं सदी की आवश्यकताओं को देखते हुए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का जरूरी उद्देश्य, अच्छे चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए। यह एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में गहन स्तर पर अध्ययन करने में सक्षम बनाती है, और साथ ही चरित्र, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों, बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक स्वभाव, रचनात्मकता, सेवा की भावना और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी, भाषा के साथ ही व्यावसायिक, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित विभिन्न विषयों में 21वीं सदी की क्षमताओं को विकसित करती है। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत उपलब्धि और ज्ञान, रचनात्मक सार्वजनिक सहभागिता और समाज में उत्पादक योगदान को सक्षम करना चाहिए। इसे छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य-भूमिकाओं के लिए तैयार करना चाहिए और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए।"

स्वाधीन भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह ऐसा पहला दस्तावेज है, जिसमें भाषाओं के विकास, संरक्षण और शिक्षण संबंधी विस्तृत और समग्र चिंता की गई है तथा एतदर्थ सम्यक् विधान भी किया गया है। इससे पहले प्रायः भाषा को शिक्षा

की माध्यम भाषा के रूप में ही प्रस्तुत किया जाता था। भाषा स्वयं शिक्षा का विषय भी है, इसकी उपेक्षा ही की जाती रही है। माध्यमिक-पूर्व स्तर तक मातृभाषा में शिक्षा की बात कही जरूर जाती रही, किन्तु मातृभाषाओं को शिक्षण की भाषा के रूप में समर्थ बनाने के लिए व्यवस्थित उद्यम नहीं किये गये; मातृभाषियों की नैसर्गिक क्षमता के भरोसे उसे अक्सर छोड़ दिया। इस नीति दस्तावेज में जहाँ मातृभाषाओं को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाने और उन्हें समर्थ बनाने की बात कही गई है, वहीं स्वयं मातृभाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था तथा अन्य मातृभाषा को दूसरे भाषाई समुदाय की मातृभाषाओं को अन्य/द्वितीय भाषा के रूप में सीखने-सिखाने की वकालत भी की गई है।

एनईपी-2020 में बहुभाषिकता को बहुत अधिक प्रमुखता दी गयी है। इसमें 'भारतीय भाषा' संबंधी अनेक महत्वपूर्ण उपबंध दिये गये हैं और अपेक्षा की गयी है कि विद्यालय स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक 'भारतीय भाषा' की पाठ्यचर्या में परस्परता और सातत्व बना रहे। विद्यालय स्तर पर किसी भाषा का शिक्षण न होने पर उच्चतर अर्थात् विश्वविद्यालय स्तर पर अलग से द्वितीय भाषा के रूप में शिक्षण की व्यवस्था किये जाने का निर्देश है। यहाँ तक कि प्रमुख विदेशी भाषाओं की भी द्वितीय/विदेशी भाषा के रूप में शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। इन प्रावधानों में भारत और एशियाई केंद्रिकता पर विशेष बल है। इसमें यह आकांक्षा भी प्रतीत होती है कि भारत का प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति बहुभाषिक होगा, वह कम-से-कम दो-तीन भाषाओं में अवश्य निष्णात होगा। भारत में अनेक भाषाएँ हैं, भले ही कोई इन सब में दक्ष न हो पाये, किंतु दो-तीन भाषाओं में दक्षता होने से कार्य और संवाद का क्षितिज अधिक विस्तीर्ण होगा। इन प्रावधानों में यह भी संकेत है कि भविष्य में भारत में रोजगार के लिए बहुभाषिक होना अनिवार्य अर्हताओं में सम्मिलित होगा।

आज हम अपनी अधिकांश ऊर्जा पराई भाषा को सीखने में लगा देते हैं। फिर भी पूरी तरह से उसे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में पराई भाषा का वातावरण नहीं है। हम बाजार में जाते हैं, या खेल के मैदान में; अंग्रेजी भाषा में बात नहीं करते हैं। आमतौर पर लोग अनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में ही बातें करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो आत्मीयता अपनी भाषा में आती है, किसी दूसरी भाषा में नहीं आ सकती है। विश्व के लगभग सभी विकसित देशों में प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक की संपूर्ण शिक्षा वहाँ की राष्ट्रीय भाषा में होती है। जिन देशों में यह नहीं होता है, उनकी स्थिति निम्नतर है। अंग्रेजी एक भाषा है और हमें इसे एक भाषा के रूप में ही देखना चाहिए। सभी भाषाओं की तरह इसका भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन वह हमारी भाषा नहीं है, हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते हैं। रवींद्रनाथ ठाकुर को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। परंतु उन्होंने मूल गीतांजलि बांग्ला भाषा में ही लिखी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी कलाकार, वैज्ञानिक, चिंतक कभी भी दूसरी भाषाओं के सहारे उन्नति नहीं पाता। कम से कम उसकी प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा अवश्य उसकी मातृभाषा में हुई होती है। एनईपी-2020 इस बात की पुरजोर वकालत करती है कि न केवल पाँचवीं, आठवीं, बल्कि उच्च शिक्षा के स्तर पर भी मातृभाषा का प्रवेश कराया जाए।

अध्ययन का उद्देश्य

- एनईपी-2020 के बारे में जानकारी प्राप्त करना।
- एनईपी-2020 के प्रमुख सिद्धांतों एवं लक्ष्यों का अध्ययन करना।
- भारतीय भाषाओं का अवधारणात्मक अनुशीलन करना।
- एनईपी-2020 के आलोक में भारतीय भाषाओं के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित प्रावधानों का अनुशीलन करना।

अध्ययन-पद्धति

यह शोध-पत्र वर्णनात्मक शोध-प्रश्नों पर आधारित है तथा तथ्यों के संकलन में गुणात्मक शोध-पद्धति एवं द्वितीयक स्रोतों का सहारा लिया गया है। साथ ही इस अध्ययन हेतु विभिन्न रिपोर्ट, प्रकाशित आलेखों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों एवं पुस्तकों से तथ्यों का संकलन किया गया है।

एनईपी-2020 और मातृभाषा: शिक्षण-माध्यम-विषयक प्रावधान

यह शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण पहल करते हुए सीखने में मातृभाषा के महत्व को केवल स्वीकार ही नहीं कर रही बल्कि उसकी पुरजोर वकालत भी कर रही है। यह शिक्षा नीति इस बात पर विशेष जोर दे रही है कि बच्चे के बौद्धिक व सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए मातृभाषा में शिक्षा आवश्यक है। साथ ही अंग्रेजी भाषा के समर्थन में दिए जा रहे तर्कों का उत्तर

देते यह भी कह रही है कि दूसरी भाषा को सीखने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उस भाषा को शिक्षा का माध्यम ही बनाया जाए। उसे एक विषय के रूप में अध्ययन करके भी सीखा जा सकता है। महात्मा गांधी की बात की जाए तो वह जिस दौर में अपनी शिक्षा योजना प्रस्तुत किये थे, वह दौर ही अंग्रेजी का था। शिक्षा का पर्याय ही अंग्रेजी शिक्षा थी। लेकिन महात्मा गांधी जिस तरह से भारत की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का कारण कुटीर उद्योगों की समाप्ति मानते हैं, ठीक उसी तरह अपनी भाषाओं की उपेक्षा व उससे अलगाव को भी तमाम सांस्कृतिक, राजनीतिक व शैक्षिक समस्याओं का कारण मानते हैं।[1] (उपाध्यायः 2021, पृ. 56-57)

भारतीय भाषाओं पर बल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की एक प्रमुख विशेषता है। इसके परिचय में ही जिन आधार सिद्धांतों का उललेख है, उनमें 'बहुभाषिकता और अध्ययन-अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन' देना शामिल है। इसी सिद्धांत के अनुरूप विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में 'भारतीय भाषाओं के अध्यापन' के साथ-साथ 'भारतीय भाषाओं में अध्यापन' पर बल दिया गया है। इसी क्रम में एक महत्त्वपूर्ण अनुशंसा है कि "जहाँ तक संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक, लेकिन बेहतर यह होगा कि यह कक्षा 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा मातृभाषा स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा होगी।"[2] (कुमारः 2022, पृ. 143) शिक्षा मनोविज्ञान के शोध अथवा यूनेस्को जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता हैं, क्योंकि इसमें संप्रेषण और संज्ञान अत्यंत सहज व शीघ्र होता है। मातृभाषा स्थानीय भाषा में बच्चा चीजों को समझता है, जबकि इतर भाषाओं में उसे रटना पड़ता है।

यह अकारण नहीं कि अमेरीका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया से लेकर चीन आदि दुनिया के विकसित देशों में स्कूली शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही होती है। यहाँ तक कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा के लाभ को देखते हुए उच्चतर शिक्षा का माध्यम भी इन देशों में आमतौर उस देश की अपनी भाषा होती है। शिक्षा के माध्यम के रूप में देशी (स्थानीय) भाषाओं के महत्त्व, साथ ही आम जनता की भाषाई परिस्थिति को समझते हुए यह शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में उच्चतर शिक्षा की वकालत करती है, इसलिए इसमें अधिक-से-अधिक डिग्री पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं अथवा द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने की सिफारिश है।[3] (कुमारः 2022, पृ. 144).

एनईपी-2020 के चौदहवें अध्याय उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश में स्पष्ट उल्लेख है—"भारतीय भाषाओं और द्विभाषी रूप से पढ़ाए जानेवाले अधिक डिग्री पाठ्यक्रम विकसित करना।" उच्चतर शिक्षा में भारतीय भाषाएँ में कितनी जरूरी और महत्त्वपूर्ण है, इस बात को दुबारा बाईसवें अध्याय 'भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन' में रेखांकित करते हुए कहा गया है कि "मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा।"[4] (कुमारः 2022, पृ. 144)

एनईपी-2020 : भाषा-लोकतंत्रीकरण-विषयक प्रावधान

भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए हमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री-लिखित और श्रव्य-दृश्य (ऑडियो-विजुअल) तरह की सामग्री की आवश्यकता होगी। नीति इस जरूरत के बारे में पूर्ण सजग है और संस्तुति देती है कि "सर्वसाधारण को विभिन्न भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली अधिगम सामग्री और अन्य महत्त्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री उपलब्ध हो सके, इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना की जाएगी।"[5] (पोखरियालः 2020) यह स्वागत-योग्य है कि इस विषय के महत्त्व और गंभीरता को महसूस करते हुए बहुत ही तत्परता के साथ सरकार ने एक समिति भी गठित कर दी है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन ऐंड इंटरप्रिटेशन (आई.आई.टी.आई.) की स्थापना करने की दिशा में कार्य करेगी। इन सबके अलावा भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं (और उनके साथ उनसे जुड़े साहित्य, संस्कृति व कला) को बढ़ावा देने के लिए भी नीति विशेष सजग है। इसमें कहा गया है कि "भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे।"[6] (पोखरियालः 2020) यह नीति आठवीं अनुसूची के इतर भी भाषाई स्तर पर लोकतांत्रिक है और बहुत कम बोली

जानेवाली भाषाओं के प्रति भी पूर्ण संवेनदशील है। इसमें कहा गया है कि आदिवासी और विलुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद से विशेष प्रयास किए जाएँगे। भाषाओं और उनसे संबंधित संस्कृति के संरक्षण में प्रौद्योगिकी के महत्त्व को समझते और रेखांकित करते हुए यह भी कहा गया है कि "सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं एवं और उनसे संबंधित समृद्ध स्थानीय कला एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु सभी भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफार्म/पोर्टल विकिपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण कराया जाएगा। निस्संदेह नीति के उपर्युक्त बिंदु भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति दोनों ही की मजबूती की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे।"[7] (पोखरियालः 2020)

एनईपी-2020: त्रिभाषा सूत्र विषयक प्रावधान

भारतीय भाषाओं एवं बहुभाषिकता पर जोर देते हुए 2020 में त्रिभाषा सूत्र का भी उल्लेख है, लेकिन प्रस्तावित त्रिभाषा सूत्र नई शिक्षा नीति-1986 के त्रिभाषा सूत्र से थोड़ा भिन्न है। पूर्व में हिंदी प्रदेशों में जहाँ स्कूली स्तर पर अंग्रेजी, हिंदी व एक अन्य भारतीय भाषा (इसमें भी वांछनीय रूप से दक्षिण भारतीय भाषा) पढ़ाए जाने की बात थी, वहीं हिंदीतर राज्यों में अंग्रेजी के साथ-साथ उस राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय भाषा और हिंदी पढ़ाए जाने का प्रावधान था।[8] (कुमारः 2022, पृ. 146) एनईपी-2020 में प्रथम मातृभाषा, द्वितीय राज्यभाषा क्षेत्रीय भाषा और तीसरी अंतर्राष्ट्रीय आंगल भाषा की सिफारिश की गयी है। हमारे देश में सर्वाधिक समझी जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा हिन्दी है।[9] (कुमारः 2022, पृ. 93) इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है—

हिन्दी मेरी भाषा हैं, हिन्दी मेरी आशा हैं,
हिन्दी का उत्थान करना, यही हमारी जिज्ञासा है
हिन्दी की बोली अनमोल, एक शब्द के कई विलोम
हिन्दी हिन्द हिमालय पर, ऊंचे आसन वाली है,
हिन्दी जयहिन्द और वन्देमातरम के उच्चारण वाली है।

एनईपी-2020 : देवभाषा विषयक प्रावधान

गौरतलब हो कि कोई भी भाषा अपने समाज की संस्कृति की वाहक होती है। विलियम जोन्स ने जिस संस्कृत को ग्रीक से अधिक परिपूर्ण और लैटिन से अधिक समृद्ध और इन दोनों की अपेक्षा अधिक शुद्ध और मनोहारी माना। जिस संस्कृत में ज्ञान का विपुल भण्डार है, जो भाषा आज भी सर्वाधिक वैज्ञानिक मानी जाती है व कम्प्यूटर तक के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी गयी, उसे भी उपेक्षित किया जाना भारतीयों द्वारा खुद के साथ किया गया एक बड़ा अपराध है। यह शिक्षा नीति संस्कृत के संरक्षण के प्रयासों पर बल देने की बात कर रही है[10] (पाण्डेयः 2021, पृ. 91), जो भारतीय ज्ञान के संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल है।

जहाँ तक रही बात संस्कृत की तो इसमें कोई संदेह नहीं कि न केवल भारतीय संस्कृति और समाज को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, बल्कि अधिकांश भारतीय भाषाओं की आदि स्रोत, और उत्तर से लेकर दक्षिण के समस्त भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में भी इसकी अपनी महत्त्वपूर्ण पहचान है। सौभाग्य से एनईपी-2020 के अध्याय चार में यह उल्लिखित है कि स्कूलों में छठी कक्षा से शुरू कर कम से कम 2 साल के लिए संस्कृत या शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन कराया जाएगा। यह भी स्वागत योग्य है कि उच्च शिक्षा में भी संस्कृत पर बल दिया जाएगा, बल्कि संस्कृत के महत्त्व को समझते हुए इसे अन्य समकालीन और प्रासंगिक विषयों जैसे कि गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, भाषा विज्ञान आदि से जोड़ा जाएगा। एनईपी-2020 के इस नीति के अनुरूप संस्कृत विश्वविद्यालय भी उच्च शिक्षा के बड़े बहुविषयक संस्थान बनने की ओर अग्रसर होंगे।[11] (कुमारः 2022, पृ. 147-148).

निष्कर्ष

विश्लेषण के तौर पर हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की यह पहली शिक्षा नीति है जिसके दस्तावेज में "भारतीय भाषाओं में शिक्षा" के साथ "भारतीय भाषाओं की शिक्षा" की पुरजोर वकालत की गई है। साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान के शोधों को दृष्टिगत रखते हुए पाँचवी, आठवीं कक्षा बल्कि उच्च शिक्षा के स्तर पर भी मातृभाषा में शिक्षण पर जोर दिया गया है और समस्त भारतीय भाषाओं के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन की भी हिमायती इस शिक्षा नीति में स्पष्ट तौर पर की गई है। एनईपी-2020 के क्रियान्वयन करते समय भाषा संबंधी उपरोक्त सुझावों को अपनाना लाभकारी होगा क्योंकि तात्कालिक भावुकता से ऊपर यह राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रहित का प्रश्न है।

ISSN 2348-3857

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उपाध्याय, सुनील कुमार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में महात्मा गाँधी के शैक्षिक विचारों का प्रतिबिंबन, श्वेता उत्पल, (सं.), प्राथमिक शिक्षक, शैक्षिक संवाद की पत्रिका, वर्ष 45, अंक-2, अप्रैल 2021, पृ.सं. 57.
2. कुमार, प्रो. निरंजन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और भारतीय भाषाएँ, अतुल कोठारी (सं.), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : भारतीयता का पुनरूत्थान, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, 2022, पृ.सं. 143.
3. उपर्युक्त, पृ.सं. 144.
4. उपर्युक्त
5. पोखरियाल, संजय, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी : नई शिक्षा नीति में भारतीयता और देशी भाषाओं को महत्ता, संपादकीय आलेख, 08 सितम्बर, 2020.
6. उपर्युक्त
7. उपर्युक्त
8. कुमार, प्रो. निरंजन (2022), पूर्वोक्त, पृ.सं. 146.
9. कुमार, नरेश, प्रवाहिनी, अंक-29, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान रूड़की, 2022, पृ.सं. 93.
10. पाण्डेय, प्रो. अनिल कुमार, तुलनात्मक भाषा विज्ञान, प्रो. मनोज कुमार (सं.), राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : क्रियान्वयन के सूत्र, महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र, 2021, पृ.सं. 91.
11. कुमार, प्रो. निरंजन (2022), पृ.सं. 147-148.